राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2203

16 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

देश में घटिया किस्म के इस्पात का क्षेपण

2203. **श्री सी. एम. रमेश:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीन, जापान, रूस, कोरिया इत्यादि देशों में उत्पादित अतिरिक्त इस्पात का भारत में क्षेपण किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस्पात क्षेपण के संबंध में कोई मात्रात्मक प्रतिबंध हैं;

(ग) घटिया किस्म के इस्पात का क्षेपण देश में इस्पात उद्योग को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के नाते देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में सीमित है। इसलिए विभिन्न इस्पात मदों का उत्पादन, आयात और निर्यात इत्यादि पूर्ण रूप से अलग-अलग इस्पात निर्माताओं के निर्णय पर निर्भर करता है और सरकार ने इन पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व स्तर पर इस्पात की अधिकता है। चीन, जापान, रूस, कोरिया इत्यादि जैसे इस्पात के अग्रणी उत्पादक देशों में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होने के कारण ये देश भारत जैसे उभरते बाजारों में इस्पात का निर्यात उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आयातित मदों की कीमतें उनकी घरेलू कीमतों से काफी कम हो जाती है।

(घ): सरकार ने घरेलू इस्पात क्षेत्र को इस्पात के सस्ते आयातों से सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन या आयात हो, सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012, दिनांक 12.03.2012 तथा इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2015, दिनांक 15.12.2015 अधिसूचित किए हैं।

(ii) घरेलू इस्पात उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाने के लिए-

(क) कोयला ब्लाक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्स (स्पेशल प्रोविजंस) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(ख) खनन पट्टे के आवंटन को सरल और कारगर बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'माईन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन्स) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(iii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टील (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अगस्त, 2015 में पुनः संशोधित करके आयात शुल्क फ्लैट स्टील पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टील पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(v) रिबार्स का आयात केवल 'इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2012' के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर, 2014 में निर्देश जारी किए गए थे, ताकि बोरोन युक्त रिबार्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके।

(vi) सरकार ने जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vii) सरकार ने सितम्बर, 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।

(viii) दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना के जरिये 173 इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मदों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्य से कम पर करने की अनुमति नही होगी।

***